न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 178/2012/223 आर टी ए

1. गुलाराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सांवरमल पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. चेतराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सुल्तान पुत्र बटूराम जाति बाजीगर निवासी चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. भंजी पत्नि बुधराम जाति माली निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. केसरदेवी पत्नि मनफूल जाति माली निवासी सिलवाल तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार हरियाणा।
4. सन्तोष पत्नि बजरंग लाल जाति माली बहल तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
5. परमेश्वरी देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति माली निवासी रामनगरिया तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
6. कलावती पत्नि नत्थुराम जाति माली निवासी सिलवाल तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार हरियाणा।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील रावतसर।
8. सुल्तान पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमाऩगढ़।
9. हरिराम पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. भीमसेन पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. मनी पुत्री रूकमा जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. बद्रीराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. प्रभुराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2012 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर
प्रकरण संख्या 51/2009 अनवानी सुल्तान बनाम गुलाराम आदि

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस
श्री सन्तलाल अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांकः–16.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए का पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 से जरिये बैयनामा दिनांक 17.01.03 चक 13 डीडब्लूडी के मु.न.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

211/11 के कि.न. 4 ता 8, 13, 14 कुल 7 बीघा भूमि खरीद की थी मुताबिक बैयनामा प्रार्थी के नाम से इंतकाल दर्ज किया जाकर जमाबंदी मे वादी का नाम अंकन किया जाना था लेकिन वादी के नाम से इंतकाल दर्ज किया गया है वह 1.090 है0 भूमि दर्ज किया गया व उसी अनुसार जमाबंदी मौजूदा तैयार कतरे वक्त भी इसी भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया गया है। जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उनके नाम की भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 17.01.03 के किला नम्बरान से खरीद किया गया तो कानूनन उसका इंतकाल अलग से मुताबिक बैयनामा ही अलग से दर्ज होना चाहिए था लेकिन प्रतिवादी सं. 9 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 को फायदा देने की नियत से मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकार्ड मे पूरी आराजी वादी की दर्ज न कर आंशिक दर्ज की गई है जिसे वादी उक्त जमाबंदी को दुरूस्त करवाकर पूर्ण आराजी अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसी अनुसार घोषणा का अनुतोष चाहते हुए मुताबिक घोषणा खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। प्रतिवादी/अपीलांट ने दावा का विरोध करते हुए जवाबदावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए दावा डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने विवाधक सं. 1 का निर्णय मात्र कयास के आधार पर बहक वादी/रेस्पो0 सं. 1 निर्णित किया है इस विवाधक का निर्णय करते समय विचारण न्यायालय ने यह अवधारणा कायम की है कि माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नोहर द्वारा निर्णय पारित करते वक्त उक्त सभी पहलुओं पर मनन किया होगा यदपि विशिष्ट भूभाग का बैयनामा ईकरारनामा मे अंकित विवरण भूमि के आधार पर ही लिखा गया होगा परन्तु जब विधि का यह सिद्धांत है कि बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ट भूभाग का बैयनामा निष्पादित नही हो सकता तो कानूनन वादी/रेस्पो0 सं. 1 को किसी प्रकार से कोई अधिकार विधिक प्रावधानो के विपरीत उसे ना तो प्राप्त हो सकते है और ना ही किसी दस्तावेज से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसे दिये जा सकते है। इस विधिक स्थिति की ओर ध्यान दिये बिना विधिक प्रावधानो के विपरीत विवाधक सं. 1 का निर्णय बहक वादी किया है जो निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाधक सं. 2 का निर्णय बहक वादी/रेस्पो0 सं. 1 के हक मे निर्णित करने मे अहम कानूनी भूल की है क्योंकि चक 13 डीडब्लूडी के प.न. 211/11, 211/19, 211/30, 211/31 कुल 10.144 है0 की भूमि गोरा चावली पत्नियां बागाराम की बहिब 1/12 हिस्सा व गुला, बद्री, प्रभु, श्योचन्द, सावरमल, चेतराम पि. बागाराम बहिब 6/12 हि. व भजी, केशर, सन्तोष, परमेश्वरी, कलावती पुत्रीयां बागाराम बहिब 5/12 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा भूमि पन्नाराम के जायज वारिसानो मनफूल, मोडूराम, चानणा, सुल्तान, हरीराम, भीमसैन, भूरी, रूकमा की भूमि थी। अपीलांट सं. 1 ता 3/प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने जितनी भूमि बैय की थी उसका अमल दरामद वादी के पक्ष मे हो गया था तथा मृतक श्योचन्द व गोरा ने अपने हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि बैय की हो तो वह भूमि अपीलांटस के नाम दर्ज भूमि मे से कम नही हो सकती है इसी कारण बैयनामा के आधार अभिलेख मे अमल दरामद नही हो सकता था इसी कारण अभिलेख मे अमल दरामद नही हुआ। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोद नोहर ने अपीलांट के हिस्से की भूमि कम करने का कोई आदेश नही दिया है और ना ही सिविल न्यायालय ऐसा करने मे सक्षम है क्योंकि कृषि भूमि पर अधिकारो की घोषणा हेतु वाद मात्र राजस्व न्यायालय के ही क्षेत्राधिकार का है सिविल न्यायालय द्वारा मात्र बैयनामा पंजीबद्ध करवाया है उस पंजीबद्ध बैयनमाा के आधार पर अभिलेख मे अमल दरामद हो सकता है या नही यह राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

4. विचारण न्यायालय ने विवाधक सं. 3 का निर्णय खिलाफ अपीलांटस गलत किया गया है क्योंकि वादी अपने हक हिस्सा जो उसका जमाबंदी मे दर्ज है उससे अधिक का खाता विभाजन कानूनन नही करवा सकता है तथा जो बैयनामे के आधार पर नामान्तरण वादी के नाम दर्ज ही नही होने से वह खाता विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही बनता है। इस प्रकार इस विवाधक का निर्णय बहक अपीलांट निर्णित होना चाहिए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

था। मृतक श्योचन्द पुत्र बागा ने दो बार मे कुल 52 हिस्सा यानि 2.12 बीघा व मृतका गोरा बेवा बागा ने 52 हिस्सा यानि 2.12 बीघा व गुलाराम, सावरमल, चेतराम पि0 बागाराम ने कुल 36 हिस्सा बहिब यानि प्रत्येक ने 0.12 बीघा भूमि बैय की थी तथा इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने जितनी भूमि बैय की थी उसका अमल दरामद वादी के पक्ष मे हो गया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के हिस्से से उतनी भूमि कम हो गयी। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को उक्त खाता की भूमि मे से कोई भी भूमि मृतक श्योचन्द व गोरा से विरासतन प्राप्त नही हुई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1988 पेज 337 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 द्वारा अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 2 ता 6 से जरिये बैयनामा दिनांक 17.01.0 को चक 13 डीडब्लूडी के प.न 211/11 कि.न. 4 ता 8, 13, 14 कुल 7 बीघा भूमि खरीद की थी। उपरोक्त 7 बीघा भूमि का इंतकाल राजस्व रिकार्ड मे किया जाना था लेकिन रेस्पो0 सं. 1 के नाम से उपरोक्त भूमि मे से 1.090 है0 भूमि का इंतकाल किया गया है जो गलत है जबकि समस्त भूमि का इंतकाल दर्ज करना था। राजस्व रिकार्ड मे 1.090 है0 भूमि का इंतकाल रहने से रेस्पो0 के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए का पेश कर मुताबिक बैयनामा दिनांक 17.01.03 चक 13 डीडब्लूडी के मु.न. 211/11 के कि.न. 4 ता 8, 13, 14 कुल 7 बीघा भूमि की घोषणा वादी के नाम करने का अनुतोष चाहते हुए मुताबिक घोषणा खाता तकसीम का निवेदन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया गया जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि ''चक 13 डीडब्लूडी के प.न. 211/11, 211/19, 211/30, 211/31 कुल 10.144 है0 की भूमि गोरा चावली पत्नियां बागाराम की बहिब 1/12 हिस्सा व गुला, बद्री, प्रभु, श्योचन्द, सावरमल, चेतराम पि. बागाराम बहिब 6/12 हि. व भजी, केशर, सन्तोष, परमेश्वरी, कलावती पुत्रीयां बागाराम बहिब 5/12 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा भूमि पन्नाराम के जायज वारिसानो मनफूल, मोडूराम, चानणा, सुल्तान, हरीराम, भीमसैन, भूरी, रूकमा की भूमि थी। अपीलांट सं. 1 ता 3/प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने जितनी भूमि बैय की थी उसका अमल दरामद वादी के पक्ष मे हो गया था तथा मृतक श्योचन्द व गोरा ने अपने हक व हिस्सा से ज्यादा भूमि बैय की हो तो वह भूमि अपीलांटस के नाम दर्ज भूमि मे से कम नही हो सकती है इसी कारण बैयनामा के आधार अभिलेख मे अमल दरामद नही हो सकता था इसी कारण अभिलेख मे अमल दरामद नही हुआ। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोद नोहर ने अपीलांट के हिस्से की भूमि कम करने का कोई आदेश नही दिया है और ना ही सिविल न्यायालय ऐसा करने मे सक्षम है क्योंकि कृषि भूमि पर अधिकारो की घोषणा हेतु वाद मात्र राजस्व न्यायालय के ही क्षेत्राधिकार का है सिविल न्यायालय द्वारा मात्र बैयनामा पंजीबद्ध करवाया है उस पंजीबद्ध बैयनमाा के आधार पर अभिलेख मे अमल दरामद हो सकता है या नही यह राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार जो नामान्तरण रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज हुआ वह सही है। जबकि अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 का तर्क है कि ''रेस्पो. सं. 1 द्वारा अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 2 ता 6 से जरिये बैयनामा दिनांक 17.01.03 को चक 13 डीडब्लूडी के प.न 211/11 कि.न. 4 ता 8, 13, 14 कुल 7 बीघा भूमि खरीद की थी। उपरोक्त 7 बीघा भूमि का इंतकाल राजस्व रिकार्ड मे किया जाना था लेकिन रेस्पो0 सं. 1 के नाम से उपरोक्त भूमि मे से 1.090 है0 भूमि

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

का इंतकाल किया गया है जो गलत है जबकि समस्त भूमि का इंतकाल दर्ज करना था। राजस्व रिकार्ड मे 1.090 है0 भूमि का इंतकाल रहने से रेस्पो0 के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए का पेश कर मुताबिक बैयनामा दिनांक 17.01.03 चक 13 डीडब्लूडी के मु.न. 211/11 के कि.न. 4 ता 8, 13, 14 कुल 7 बीघा भूमि की घोषणा वादी के नाम करने का अनुतोष चाहते हुए मुताबिक घोषणा खाता तकसीम का निवेदन किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय पारित है।''

7. रेस्पो0 सं. 1 द्वारा जरिये ईकरारनामा दिनांक 04.11.89 को श्योचन्द पुत्र बाधाराम से चक 13 डीडब्लूडी के कि.न. 4 व 5 कुल 2 बीघा भूमि व दिनांक 04.11.89 को मु0 गोरा बेवा बाधाराम से इसी चक के कि.न. 6 व 7 कुल 2 बीघा भूमि एवं दिनांक 09.07.90 को श्योचन्द, गुला, सांवरमल व चेतराम पि0 बाधाराम से कि.न. 8, 13, 14 कुल 3 बीघा इस प्रकार तीनो ईकरारनामा के जरिये कुल 7 बीघा भूमि खरीद की थी। क्रेता सुलतानराम/रेस्पो0 सं. 1 ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष दीवानी वाद सं. 55/92 विक्रेतागण व पश्चातवर्ती क्रेता भागसिंह पुत्र चन्दुराम के खिलाफ प्रस्तुत किया जो वाद श्योचन्द, गौरा, गुला, सावरमल,चेतराम व भागसिंह के खिलाफ डिक्री हुआ तथा रजिस्ट्री क्रेता के पक्ष मे दिनांक 17.01.03 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश के माध्यम से निष्पादित हो गई। परन्तु राजस्व अभिलेख मे नामान्तरण मुताबिक हिस्सा रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज हुआ। चूंकि चक 13 डीडब्लूडी के कुल आराजी 10.144 है0 यानि 40.01 बीघा भूमि है जिसमे गोरा, चावली पत्नियां बागाराम की बहिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा, गुला, बद्री, प्रभु, श्योचन्द, सावरमल, चेतराम पिसरान बागाराम बहिस्सा बराबर 6/12 हिस्सा व भजी, केशर, सन्तोष, प्रमेश्वरी, कलावती, पुत्रियां बागाराम बहिस्सा बराबर 5/12 हिस्सा दर 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा भूमि पन्नाराम के वारिसानो मनफूल, मोडूराम, चानण, सुलतान, हरीराम, भीमसैन, भूरी, रूकमा की भूमि थी। श्योचन्द का 1/12 हिस्सा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यानि 0.422 है0 ही था परन्तु श्योचन्द ने दो बार कुल 52 हिस्सा यानि 2.12 बीघा भूमि बैय की तथा गौरा के हिस्से मे 0.211 है0 भूमि थी जबकि गौरा ने 2.12 बीघा भूमि बैय की तथा गुला, सावर, चेतराम के हिस्से मे कुल 36 हिस्सा यानि 1.16 बीघा भूमि थी जिसमे 0.455 है0 भूमि बैय की गई इस प्रकार कुल 1.771 है0 भूमि बैय की गई। बैयनामा दिनांक 17.01.03 के अनुसार कुल 7 बीघा भूमि बैय की गई तथा नामान्तरण बैचानकर्ता के हिस्सा के अनुसार 1.090 है0 भूमि का रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज हुआ जो सही दर्ज हुआ है। श्योचन्द द्वारा 0.236 है0 भूमि एवं गौरा द्वारा 0.447 है0 भूमि अपने हिस्सा से अधिक बैचान की गई है जो रेस्पो0 सं. 1 उक्त विक्रेता से प्राप्त करने का अधिकारी है, ना की अपीलांट यानि विक्रेतागण गुला, सांवर, चेतराम पि0 बागाराम से। विक्रेतागण गुला, सांवर, चेतराम पि0 बागाराम से अपने अपने हिस्सा के अनुसार ही भूमि का बैचान किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2012 पुष्टि योग्य नही होने के कारण यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होने से अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2012 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 178/2012/223 आर टी ए

1. गुलाराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सांवरमल पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. चेतराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सुल्तान पुत्र बटूराम जाति बाजीगर निवासी चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. भंजी पत्नि बुधराम जाति माली निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. केसरदेवी पत्नि मनफूल जाति माली निवासी सिलवाल तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार हरियाणा।
4. सन्तोष पत्नि बजरंग लाल जाति माली बहल तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
5. परमेश्वरी देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति माली निवासी रामनगरिया तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
6. कलावती पत्नि नत्थुराम जाति माली निवासी सिलवाल तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार हरियाणा।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील रावतसर।
8. सुल्तान पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमाऩगढ़।
9. हरिराम पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. भीमसेन पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. मनी पुत्री रूकमा जाति माली निवासी चक 13 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. बद्रीराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. प्रभुराम पुत्र बागाराम जाति माली निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2012 न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर
प्रकरण संख्या 51/2009 अनवानी सुल्तान बनाम गुलाराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटस, श्री सन्तलाल अधिवक्ता रेस्पो0 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2012 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official